विधानसभा सामान्य निर्वाचन, 2017

संख्या-6/2017/66/तीस-4-2017-160/96

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 20 जनवरी, 2017

विषय: विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017 में अधिग्रहीत की जाने वाली विभिन्न प्रकार की हल्की एवं भारी वाहनों के ईंधन खपत दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1820/तीस-4-18के0एम0/75, दिनांक 21.04.1977, संख्या-1873टी/तीस-4-18के0एम0/75, दिनांक 24.04.1978, संख्या-894/तीस-4-99, दिनांक 15.04.1999, संख्या-2984/तीस-4-2003-129/99, दिनांक 02.04.2004, संख्या-572/तीस-4-7-129/99टी0सी0, दिनांक 26.03.2009, संख्या-25/तीस-4-12-129/99टी0सी0, दिनांक 11.01.2012 एवं संख्या-385/तीस-4-2014-129/99टी0सी0, दिनांक 14.03.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी वाहनों में अथवा सरकारी कार्यों हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों में संलग्न सूची में उल्लिखित मानक के अनुसार पेट्रोल, डीजल तथा सी0एन0जी0 की खपत (सूची में उल्लिखित) किलोमीटर प्रति लीटर अनुमन्य होगी।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

आराधना शुक्ला
प्रमुख सचिव।

संख्या-6/2017/66(1)/तीस-4-2017 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवेंद सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-6/2017/66/तीस-4-2017-160/96., दिनांक 20 जनवरी, 2017 का संलग्नक।

क्र.सं.	निर्माता का नाम	वाहन का मॉडल	ईंधन (डीजल/पेट्रोल)	ईंधन खपत की दर कि0मी0 प्रति लीटर
1	मारूति सुजकी इण्डिया लि0	ब्रीजा	डीजल	17-18
2	मारूति सुजकी इण्डिया लि0	सियाज	डीजल	18-19
3	मारूति सुजकी इण्डिया लि0	सियाज	प्रेट्रोल	12-13
4	मारूति सुजकी इण्डिया लि0	एस क्रास	डीजल	13-14.5
5	ह्यून्डाई मोटर इण्डिया लि0	क्रेटा	डीजल	13.5-15
6	ह्यून्डाई मोटर इण्डिया लि0	क्रेटा	पेट्रोल	11-12.5
7	होन्डा मोटर कम्पनी लि0	मोबाइलियो	डीजल	17-18
8	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0	टीयूवी 300	डीजल	12-13

(नर्वेद सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।